भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3622

(दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए)

सी.आई.सी. में रिक्तियां

3622. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सी.आई.सी. में बड़ी संख्या में रिक्तियां खाली पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(2) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे -

क) मुख्य सूचना आयुक्त और

ख) जैसा कि आवश्यक समझा जाए केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की ऐसी संख्या जो कि दस से अधिक न हो।

केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं -

i) खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना।

ii) आवेदकों की जानकारी को सारणीबद्ध किया जाता है तथा शॉर्टलिस्टिंग हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली खोजबीन समिति (माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित) को भेजा जाता है।

iii) खोजबीन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए नामों के साथ सभी आवेदकों की जानकारी, धारा 12(3) के तहत गठित माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को भेजी जाती है।

iv) समिति द्वारा धारा 12(3) के तहत सिफारिश किए गए व्यक्तियों की माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है।

उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, दिनांक 07.11.2020 को सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और 03 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में, केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सात सूचना आयुक्त पदासीन हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिवालय हेतु स्वीकृत पदों की संख्या 160 है।

केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिवालय में रिक्त पदों की संख्या 07 है।

पदों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है।

*****